

कार्यालय अधिष्ठाता गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर-474009 (म0प्र0)

क्रमांक.....स्था.राज/19

ग्वालियर, दिनांक 25/10/19

43026

//विज्ञापन//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 4-30/2017/1-55 भोपाल दिनांक दिनांक 14 अगस्त 2017 में प्रदान स्वीकृति अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में सीनियर रेजीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में **वॉक-इन-इंटरव्यू** हेतु दिनांक 25.10.2019 की स्थिति में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, साक्षात्कार दिनांक 30.10.2019 है। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक वर्ष आगे बढ़ाई जावेगी। :-

(सीनियर रेजीडेन्ट (निश्चित वेतन रु. 65,000/- प्रतिमाह)

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

विभाग	रिक्त कुल पद	अनारक्षित	अजजा	अजा	ओ.वी.सी
निश्चयना	02	01	01	00	00
आर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थेसिया क्लिनिकल केयर	02	01	01	00	00
पीडियाट्रिक एण्ड नियोनेटोलॉजी एनेस्थेसिया	02	01	01	00	00
यूरोलॉजी	05	02	01	01	01
नियोनेटोलॉजी	04	01	01	01	01
पीडियाट्रिक सर्जरी	06	03	01	01	01
रेडियोडायग्नोसिस	03	02	01	00	00
इन्टरवेंशनल रेडियोलॉजी	03	02	01	00	00
कुल	27	13	08	03	03

(म-Female) महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।

सीनियर रेजीडेन्ट पद हेतु **वॉक इन इंटरव्यू** नोटिस जारी होने के उपरान्त पद भरने तक (कार्य दिवस) सोमवार को प्रातः 10:30 से 05:30 बजे तक गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे। **05: 30 बजे के पश्चात् आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे।** एवं बुधवार को प्रमाण पत्रों की स्कूटनी का कार्य आरम्भ होगा। तत्पश्चात् साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दि. 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा, कवे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्त लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित हैं।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. अवधि : सीनियर रेजीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./एमसीएच/डीम/डीएनबी परीक्षा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।

3. आवेदन शुल्क : सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 750/- (सात सौ पचास) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 500/- (पाँच सौ) राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के नाम देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जायेगी।
4. शैक्षणिक योग्यता : 1. संबंधित विषय में एमसीएच/डीएम/डीएनबी। अथवा जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पांच वर्ष के अन्दर एम.एस (सर्जरी), एम.डी. पीडियाट्रिक्स, एमडी एनेस्थेसिया परीक्षा उत्तीर्ण की है वे ही संबंधित विषय में रिक्त पद हेतु आवेदन के पात्र होंगे। जिन चिकित्सकों ने इसी महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
5. सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
6. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
7. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें :

1. चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्षों में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्टस से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अन्य राज्य की मेडिकल कौंसिल का पंजीयन होने की स्थिति में उम्मीदवार को चयन होने के पश्चात् म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल का पंजीयन कराना आवश्यक होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी0एम0टी0/पी0जी0 फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
09. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओबीसी पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
10. बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग / नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/आई है किन्तु मैंने अपनी ज्योनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बॉण्ड के बदले सीनियर रेसीडेन्ट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क्रमांक.....स्था.राज/19
प्रतिलिपि :

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चरपा करने हेतु।
3. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा छात्रावास/
4. पुस्तकालय की ओर जी.आर.एम.सी.की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, ग्वालियर (म0प्र0)
ग्वालियर, दिनांक.....

25/10/19

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय